

अज अदालत..... वायव्य मुकाम.....

..... फरमाम बनाम वरमाम वर्ग

किस्म मुकदमा व.क.क्र. 111, 128 ALRACT नं. 39/19 सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/01/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>वेणुगाराम जायस</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 ALRACT</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/02/19</u> को पेश हो।</p>	
25/02/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटीश तामील अदम्य तामील अदम्य तीकात पीठासीन अदालत अदालत में पेश करे हुए हैं अतः मिसल इल्लवा होकर आगामी दिनांक <u>26.03.19</u> को पेश हो।</p>	
26.03.19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित दीर्घात पीठासीन अदालत अदालत में पेश करे हुए हैं अतः मिसल इल्लवा होकर दिनांक <u>03/04/19</u> को पेश हो।</p>	
03.04.19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय अक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अदालत दीर्घात कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इल्लवा होकर दिनांक <u>03/07/19</u> को पेश हो।</p>	



03/07/19

पनावली आज पश हुइ। बकुलाय
संस्कारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी बिना कर्षा में व्यस्त हैं। भिसरा
इत्तवा होकर दिनांक 04/09/19 को
पश हों। २

दुकम कार्यवाही में

04/09/19

अर्थी वहील उपस्थित। विजयगिणों के नोटिस
पूर्व में रजिस्ट्रड एडी मिजवाये गये जिनको एडी
उनः जात नही हुइ है। भीमान पीठान अधिकारी
जिनो डिग्न डायरी में व्यस्त होने के भिसल इत्तवा
होकर आगामी दिनांक 14/10/19 को पेश हो।

14/10/19

अर्थी वहील उपस्थित। विजयगिणों के नोटिस
पूर्व में जरिये रजिस्ट्रड एडी मिजवाये गये जिनको
डिनिक 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका
है। विजयगिण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे। व्यापार्य
समय तीन बार आवाज लगाई गई किंतु आवाज
5.45 PM पर लगाई गई विजयगिण स्वयं या उनको
अधर से कोई उपस्थित नही हुआ लिहाजा उनको
बिना एडलरपाय डायरीवाही ममल में लाई जाली
है अतः वास्तु लखन पनावली दिनांक 24/12/19
को पेश हो।

24/12/19

अर्थी वहील उपस्थित। विजयगिण अनुपस्थित।
भीमान पीठान अधिकारी अबडामा में पधारे
हुए हैं अतः भिसल इत्तवा होकर आगामी
दिनांक 14/01/2020 को पेश हो।

//

रीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मधु इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

14/01/2020

प्राथी वहील उपस्थित / विप्राथीगिण अनु० /
 प्राथी के अधिवक्ता श्री एडपसिग्र बराम कुनी
 गरी प्राथी के अधिवक्ता द्वारा बताया श्री प्राथी
 व विप्राथीगिणों के प्यालेसारी खेत लेबू सेब प्राथी
 हुए ही प्राथी व विप्राथीगिणों के खेतों के अचल
 जो पुरानी माडे व डगे प्राथी हुए थे जो पत्तान
 में झाधियों श्री कजह से बिबर गये ही जिन
 कारण प्राथी को अपने प्यालेसारी खेत के लेबू
 हुए सही जान नही ही पा रहा ही पत्तान
 होने पर विप्राथीगिण प्राथी के लेबू को लीडर
 इसमें शास्त्र इट लेले ही जिन कारण प्राथी व
 विप्राथीगिणों के मध्य खेत के लेबू को लीडर
 पनाजा बना रहल ही जिन कारण प्राथी को अपने
 प्यालेसारी खेतों श्री नेवामबनी इस्लामा प्रावश्यत ही
 इसलिये प्राथी का नेवामबनी प्रावेन स्वीडर किया
 जाडर नेवामबनी प्रावेन किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता केमिसेन
 पर प्राथी का नेवामबनी प्रावेन स्वीडर किया
 जाडर लहरीलगा गिडा को इमिशन व सम्बंधित
 भू० समिलेख निरिखड को लहायडु इमिशन नियुक्त
 किया जाडर प्रादेश दिया जाता है कि प्राय लखे
 का लहायडु इमिशन से प्राथी के प्यालेसारी खेतों
 श्री पक्षी नेवामबनी प्रावेन पर इमिशन सुलड जमा
 इराडर इरे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर कागिल
 पजावली ही पजावली कैसल सुमार को दर्ज नकर
 से उम्हें वारिकल प्रपलर ही।

14/01/2020
 M.1. 2020

सहायक कलक्टर
 (SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 91

दिनांक:- 12/2/2020

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. फरसाराम पुत्र भीयाराम वगैरा जाति ब्रह्मामण
निवासी हेंराजाणियों की ढाणी तहसील गिड़ा
जिला बाड़मेर

1. बक्सीराम पुत्र कौशलाराम वगैरा निवासी
हेंराजाणियों की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 39/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा हेंराजाणियों की ढाणी पटवार हल्का रेतऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 115, 480, 655/477, 667/494, 673/482 रकबा क्रं.स. 41.10, 9.15, 0.01, 5.01, 7.09 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 12/2/2020

कमांक / वाद / 2020 / 92-96

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री फरसाराम
4. विप्रार्थीगण श्री बक्सीराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा।


14.1.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु